

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग -दो

शुक्रवार, दिनांक 24 जून, 2022 (आषाढ़ 3, 1944)

माननीय डॉ. रमन सिंह, सदस्य की गिरफ्तारी एवं  
रिहा किये जाने की सूचना.

अनुविभागीय दण्डाधिकारी की ओर से यह सूचना दी गई है कि -

भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 151, 107, 116 (3) के अधीन छत्तीसगढ़ विधान सभा के सदस्य, माननीय डॉ. रमन सिंह को दिनांक 16.05.2022 को अपराह्न 4:00 बजे गिरफ्तार कर अस्थायी जेल ठाकुर प्यारेलाल उच्चतर माध्यमिक शाला, राजनांदगांव में रखा गया गया तथा दिनांक 16.05.2022 को ही रिहा कर दिया गया।

दिनेश शर्मा  
सचिव  
छत्तीसगढ़ विधान सभा.